न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 138 / 2024 निर्णय दिनांक 13.08.2024

ऑनलाईन जीसीएमएस नम्बर 2022 / 333

तारनाथ पुत्र गोरूनाथ जाति सिद्ध निवासी सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , तहसील कार्यालय, श्रीडूंगरगढ ।
2. प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक वादी की ओर से
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से प्रतिवादी संख्या 01
3. श्री राजूराम जाखड अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 02

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से दावा निम्न प्रकार से सादर प्रस्तुत है कि वादी ग्राम सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी है व वादी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 10 तादादी 9.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108 तादादी 9.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 157 तादादी 14.270 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 165 तादादी 6.13 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 302 तादादी 10.6200 हैक्टेयर वाकेरोही सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। वादी का सही व वास्तविक नाम तारनाथ पुत्र गोरूनाथ जाति सिद्ध निवासी सतासर है। वादी का बचपन का बोलता नाम तारू रहा है व वादी को अपने घर परिवार, समाज, रिश्तेदारी में तारू व तारनाथ दोनों ही नामों से जाना व पुकारा जाता था। उक्त दोनों नाम वादी के ही नाम रहे है जो एक ही व्यक्ति के नाम है। वादी के पिता का नाम भी गोरूनाथ रहा है, गोरूराम कभी नहीं रहा है। चूंकि वादी के तमाम सरकारी दस्तावेजों यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भारतीय निवार्चन आयोग का पहचान पत्र, जनआधार कार्ड में प्रार्थी का नाम तारनाथ पुत्र गोरूनाथ है। वादी को अपने समाज परिवार रिश्तेदारी आदि में सब जगह तारनाथ पुत्र गोरूनाथ के नाम से ही जाना व पुकारा जाता है। जिसके अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में विरास्तन इन्ताकल नं. 9 दिनांक 17.04.1963 में भी वादी का नाम तारू वल्द गोरूनाथ अंकित किया गया था, लेकिन विरास्तन इन्तकाल दर्ज होने के पश्चात् राजस्व कर्मचारियो के आगे के रिकार्ड में वादी का नाम अंकित करते समय सहबन से [illegible] अंकित कर दिया, जबकि यदि राजस्व कर्मचारियो ने कोई दस्तावेज देखकर नाम [illegible] करते तो वादी का नाम तारनाथ पुत्र गोरूनाथ करते, जिससे स्पष्ट है कि [illegible] राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहबन से गलत दर्ज कर दिया गया [illegible] जो [illegible] जमाबन्दी में चला आ रहा है। वादी का सही व वास्तविक नाम सरकारी दस्तावेजों में तार[illegible]थ पुत्र गोरूनाथ चला आ रहा है व राजस्व रिकार्ड में तारू पुत्र गोरूराम चला आ रहा है जिसके कारण वादी को के.सी.सी. बनाने व खेत में ट्यूब वैल आदि बनाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 12:46:56 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वो वर्तमान वादगत खेत खसरा नम्बर 10 तादादी 9.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108 तादादी 9.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 157 तादादी 14.270 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 165 तादादी 6.13 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 302 तादादी 10.6200 हैक्टेयर वाकेरोही सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड में तारू पुत्र गोरूराम की जगह अपना वास्तविक नाम तारनाथ पुत्र गोरूनाथ नाम की घोषणा करवानी आवश्यक हो गई है इसलिए यह घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त खसरान भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है, जिस पर वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय भूल से तारू पुत्र गोरूराम का अंकन चला आ रहा है, ऐसे अंकन के आधार पर वादी के अधिकार खत्म नहीं हुए वरन् आज भी कायम है इसलिए वादी को राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम अंकित करवा कर दुरूस्ती करवाने का भी अधिकारी है जिसके लिए यह वाद रिकार्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खेत में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चला आ रहा है जिसके लिएं वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से राजस्व रिकार्ड में चल रहे गलत नाम तारू पुत्र गोरूराम की जगह तारनाथ पुत्र गोरूनाथ शुद्धिकरण करने का निवेदन दिनांक 10.11.2022 को किया तो प्रतिवादी ने कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त शुद्धि करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। इन्कारी की दिनांक से वादी को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादी की स्वयं की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है। दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है और जिसमें स्टेट को 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है परन्तु इस वाद की घोषणा से प्रतिवादीगण के अधिकारों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा । चूंकि दावा स्टेट जरिये. तहसीलदार राजस्व के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। स्टेट के विरूद्ध दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. के तहत नोटिस देना अनिवार्य होता है परन्तु वादगत खेत में वादी का नाम गलत अंकित होने से वादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा पेश कर शुद्धिकरण करवाया जाना आवश्यक हो गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर ली गई है। वादी ने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ से अपनी उक्त खसरान की कृषि भूमि पर ऋण ले रखा है, इसलिये बैंक को पक्षकार संयोजित किया गया है, जिसके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वादगत खेत रोही मौजा सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमान्जी को क्षेत्राधिकार हासिल है। दावा हर प्रकार से समयावधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे –

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 12:46:56 IST
Reason: SelfAttested

(क) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 10 तादादी 9.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108 तादादी 9.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 157 तादादी 14.270 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 165 तादादी 6.13 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 302 तादादी 10.6200 हैक्टेयर वाकेरोही सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी का जो गलत नाम तारू पुत्र गोरूराम अंकित कर रखा है उसकी जगह वास्तविक व सही नाम तारनाथ पुत्र गोरूनाथ घोषित किया जावे।

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 1 को यह आदेशित किया जावे कि वो वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में तारू पुत्र गोरूराम अंकित कर रखा है उसके स्थान पर उसका सही नाम तारनाथ पुत्र गोरूनाथ अंकित कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जावे व उसकी पालना प्रतिवादी संख्या 1 से करवाई जावे ।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकारराज एवं प्रतिवादी संख्या 02 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से कोई आपति नहीं होना अंकित किया गया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया कि वादी का ई.न. 9 में विरासतन से तारू वल्द गोरूराम नाम दर्ज हुआ जो आज तक राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है लेकिन इनके अन्य दस्तावेजो में तारनाथ पुत्र गोरूनाथ दर्ज है। कानून के अनुसार वादी क नाम शुद्ध किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई आपति नहीं है।

वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया कि वादी का सही व वास्तविक नाम तारनाथ पुत्र गोरूनाथ जाति सिद्ध निवासी सतासर है। वादी का बचपन का बोलता नाम तारू रहा है व वादी को अपने घर परिवार, समाज, रिश्तेदारी में तारू व तारनाथ दोनों ही नामों से जाना व पुकारा जाता था। उक्त दोनों नाम वादी के ही नाम रहे है जो एक ही व्यक्ति के नाम है। वादी के पिता का नाम भी गोरूनाथ रहा है, गोरूराम कभी नहीं रहा है। चूंकि वादी के तमाम सरकारी दस्तावेजों यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भारतीय निवार्चन आयोग का पहचान पत्र, जनआधार कार्ड में प्रार्थी का नाम तारनाथ पुत्र गोरूनाथ है। वादी को अपने समाज परिवार रिश्तेदारी आदि में सब जगह तारनाथ पुत्र गोरूनाथ के नाम से ही जाना व पुकारा जाता है। जिसके अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में विरास्तन इन्ताकल नं. 9 दिनांक 17.04.1963 में भी वादी का नाम तारू वल्द गोरूनाथ अंकित किया गया था, लेकिन विरास्तन इन्तकाल दर्ज होने के पश्चात् राजस्व कर्मचारियो के आगे के रिकार्ड में वादी का नाम अंकित करते समय सहबन से तारू वल्द गोरूराम अंकित कर दिया, जबकि यदि राजस्व कर्मचारियो ने कोई दस्तावेज देखकर नाम दुरुस्त करते तो वादी का नाम तारनाथ पुत्र गोरूनाथ करते, जिससे स्पष्ट है कि वादी का गलत नाम राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहबन से गलत दर्ज कर दिया गया था, जो वर्तमान जमाबन्दी में चला आ रहा है। वादी का सही व वास्तविक नाम सरकारी दस्तावेजों में तारनाथ पुत्र गोरूनाथ चला आ रहा है व राजस्व रिकार्ड में तारू पुत्र गोरूराम चला आ रहा है। अतः वर्तमान वादगत खेत खसरा नम्बर 10 तादादी [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108 तादादी 9.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 157 तादादी [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 165 तादादी 6.13 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 302 तादादी [illegible] हैक्टेयर वाकेरोही सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड में तारू पुत्र गोरूराम की जगह सही एवं वास्तविक नाम तारनाथ पुत्र गोरूनाथ नाम की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 12:46:56 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संक्षेप में वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 10 तादादी 9.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108 तादादी 9.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 157 तादादी 14.270 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 165 तादादी 6.13 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 302 तादादी 10.6200 हैक्टेयर वाकेरोही सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी का जो गलत नाम तारू पुत्र गोरूराम अंकित कर रखा है उसकी जगह वास्तविक व सही नाम तारनाथ पुत्र गोरूनाथ घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत् रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को मेर द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 12:46:56 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तादाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ
पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

तारनाथ पुत्र गोरूनाथ जाति सिद्ध निवासी सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर। —वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ।
2. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ। — प्रतिवादीगण—

मुकदमा नम्बर 138 / 2024
दावा बाबतः, घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 13.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री बाबूलाल दर्जी अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकारराज स्टेट एवं प्रतिवादी संख्या 02 श्री राजूराम जाखड मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 10 तादादी 9.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108 तादादी 9.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 157 तादादी 14.270 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 165 तादादी 6.13 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 302 तादादी 10.6200 हैक्टेयर वाकेरोही सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी का जो गलत नाम तारू पुत्र गोरूराम अंकित कर रखा है उसकी जगह वास्तविक व सही नाम तारनाथ पुत्र गोरूनाथ घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत् रहेगा। **तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0.. फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक ~~09~~ 13 माह ~~07~~ 08 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 12:46:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)